न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी:सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

अपील सं0–03/2020
प्रविष्टि दिनांक––5.8.2020

1. श्योनारायण पुत्र डूंगा जाति रैगर निवासी जामडोली हाल निवासी ढाणी खारडा बहड तहसील निवाई जिला टोंक
2. प्रभूलाल पुत्र छीतर जाति रैगर निवासी जामडोली हाल निवासी ढाणी खारडा बहड तहसील निवाई जिला टोंक
3. कैलाशी पुत्री छीतर जाति रैगर निवासी जामडोली हाल निवासी ढाणी खारडा बहड तहसील निवाई जिला टोंक
4. संतरा पुत्री छीतर जाति रैगर निवासी जामडोली हाल निवासी ढाणी खारडा बहड तहसील निवाई जिला टोंक
5. गोरधनी पुत्री छीतर जाति रैगर निवासी जामडोली हाल निवासी ढाणी खारडा बहड तहसील निवाई जिला टोंक
6. काली पुत्री छीतर जाति रैगर निवासी जामडोली हाल निवासी ढाणी खारडा बहड तहसील निवाई जिला टोंक
7. छोटी पुत्री छीतर जाति रैगर निवासी जामडोली हाल निवासी ढाणी खारडा बहड तहसील निवाई जिला टोंक
8. सोनी पत्नी छीतर जाति रैगर निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक

अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत जामडोली जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत **जामडोली** तहसील निवाई, जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री रामदयाल शर्मा–अभिभाषक अपीलार्थी

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 763 दिनांक 27.6.1989 ग्राम पंचायत जामडोली, तहसील निवाई जिला टोंक

निर्णय

दिनांक– 08/12/25

अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट सुन्दर बेवा डूंगा जाति रेगर के वारिसान है जो डूंगा की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 103 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 515 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 516/1476 रकबा 05 बिस्वा कुल किता–3, कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित हैं जिस पर अपीलान्टस अपने हिस्से अनुसार काबिज है। परन्तु नामान्तरकरण सं0 763 दिनांक 27.6.1989 को ग्राम पंचायत जामडोली द्वारा डूंगा की विरासत का नामानतरकरण भरते समय प्रार्थीगण की माता /दादी/सास/ सुन्दर का नाम मु0 हीरा अंकित कर दिया जो गलत है। जबकि वास्तविक नाम सुन्दर था और नामान्तरकरण मे सुन्दर ही नाम अंकित है। नामान्तरकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों ने सही जांच नही की है। अतः उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर उक्त भूमि की जमाबंदी एवं राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण की माता का नाम सुन्दर अंकित कर नवीन नामान्तरकरण भरा जावे।

उपखण्ड अधिकारी

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नामान्तरकरण सं0 763/27.6.1989, जमाबंदी संवत 2043–2046, 2071–2074, पहचान पत्र, सुन्दर देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से बावजूद तामील के जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

इसके पश्चात प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने अपील एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा भली भांति जांच नही की गइ और सुन्दर के स्थान पर मु0 हीरा बेवा डूंगा अंकित कर दिया। इसके परीक्षण के संबंध मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। उपलब्ध पहचान पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र मे सुन्दर पत्नी डूंगा अंकित है लेकिन नामान्तरकरण मे मु0 हीरा अंकित है जो त्रुटिपूर्ण दृष्टित होता है। उक्त त्रुटि के संबध मे वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारो द्वारा अपील प्रस्तुत कर, अपीलार्थी के रूप मे उक्त त्रुटि को स्वीकार कर, दुरूस्ती की मांग की है। रेस्पोडेन्ट्स का बावजूद तामील के उपस्थित नही होना अपील के तथ्यों की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। चूंकि नामान्तरकरण फोती का है जिसमे विधिक वारिसो के सही नाम दर्ज किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत डूंगा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण भर दिया गया। ग्राम पंचायत का निर्णय उचित प्रतीत नही होता है। अतः यह न्यायालय, न्याय हित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

अतः अपील, अपीलार्थीगण, विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 763 दिनांक 27.6.1989 ग्राम पंचायत जामडोली तहसील निवाई व जिला टोंक स्वीकार कर, उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को निर्देशित किया जाता है कि मृतक के विधिक वारिसो की पुनः जांच कर, विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/2/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई